ई–मेल/अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर

कमांक:राम/भूअ/परीक्षा/प–239/12/6706-38 दिनांक 12-6-2012

जिला कलेक्टर,
समस्त (राजस्थान)

विषय :– सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगी परीक्षा–2011 से चयनित अभ्यर्थियों को दिनांक 18–6–2012 से पटवार प्रशिक्षण शालाओ में प्रशिक्षण हेतु भिजवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगी परीक्षा–2011 से चयनित अभ्यर्थियों जिनका चरित्र सत्यापन नियमानुसार उपयुक्त पाया गया है का पटवार प्रशिक्षण दिनांक 18–6–2012 से प्रारम्भ करवाया जा रहा हैं। जिले के अभ्यर्थियों हेतु पटवार प्रशिक्षण शालाओं का आवंटन मण्डल द्वारा कर दिया है जिसकी सूची सलंग्न है। अतः जिले के समक्ष अंकित की गई शाला में जिले से चयनित अभ्यर्थियों को आप द्वारा सीधे ही प्रशिक्षण हेतु भिजवाया जाना हैं। कृपया प्रशिक्षण प्रारम्भ की दिनांक व जिले को आवंटित स्थाई/अस्थाई पटवार प्रशिक्षण शाला के सम्बन्ध में जानकारी स्थानीय समाचार पत्रो मे जनहित में निःशुल्क प्रचार प्रसार कराए।

साथ ही जिले को आवंटित स्थाई/अस्थाई पटवार प्रशिक्षण शाला मे ही दिनांक 18–6–2012 को प्रवेश से पूर्व आपके कार्यालय के प्रतिनिधि द्वारा संबंधित अभ्यर्थी से स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र (अभ्यर्थी के निवासित जिले के सी.एम.एण्ड एच.ओ. अथवा मेडिकल ज्यूरिस्ट के हस्ताक्षर से जारी किया हुआ हो) प्राप्त करने के उपरान्त ही नियुक्ति आदेश देने की व्यवस्था करते हुए इसकी जानकारी भी स्थानीय समाचार पत्रो मे जनहित में निःशुल्क प्रचार प्रसार कराए।

जिस जिले में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर में दायर याचिकाओं में दिए गए अंतरिम आदेश की पालना सुनिश्चित करे। ऐसे जिले की सभी नियुक्तियां उक्त याचिका के अंतिम निर्णय के अध्यधीन होंगी एवं ऐसे संबंधित प्रशिक्षु पटवारियों को पटवार प्रशिक्षण शाला में अंतरिम प्रवेश माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगा।

प्रशिक्षण में भिजवाने से पूर्व राजस्थान भू–राजस्व (भू.अ.) नियम 4 (सी सी) अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को पटवारी के पद पर 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रोबेशन ट्रेनी के रूप में नियुक्त करना है व नियम 5 के परन्तुक (i) के अनुसार नियत पारिश्रमिक (fixed remuneration) देय होगा। वर्तमान में नियत पारिश्रमिक रू. 6100/– प्रतिमाह है।

अतः नियुक्ति उपरान्त प्राबेशनर ट्रेनी पटवारियो को पटवार प्रशिक्षण शाला में उक्त दिनांक 18–6–2012 को भिजवाए एवं उनके मूल आवेदन पत्र विशेष वाहक के साथ पटवार प्रशिक्षण शाला को भिजवाऐं ताकि प्रशिक्षु पटवारियों की पहचान आवेदन पत्र पर चिपकी हुई फोटो से की जाकर पटवार प्रशिक्षण शाला में प्रवेश दिया जा सके। प्रशिक्षु पटवारियों को मूल आवेदन पत्र पटवार प्रशिक्षण शाला में रहेगे अतः आपकी सुविधा अनुसार इन आवेदन पत्रो को स्केन करवाएं अथवा छाया प्रति करवा कर आपके कार्यालय में सुरक्षित रख लिए जाए।

उपरोक्तानुसार प्रशिक्षु पटवारियों को दिनांक 18–6–2012 से सलंग्न सूची अनुसार जिले को आवंटित पटवार प्रशिक्षण शाला में भिजवाने की अनुमति दी जाती है व प्रशिक्षण हेतु भिजवाते समय प्रशिक्षु पटवारियों को निर्देश पत्र जो आपकी ओर से जारी किया जाना है का प्रारूप सलंग्न हैं।

उपरोक्त प्रशिक्षु पटवारियों के साथ ही अनुकम्पा आधार पर नियुक्त किए गए अप्रशिक्षित पटवारियों को भी जिले से संबंधित पटवार प्रशिक्षण शाला में प्रशिक्षण हेतु दिनांक 18–6–2012 से भिजवाएं।

अस्थाई पटवार प्रशिक्षण शालाएं जिला अजमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बून्दी, चित्तौड़गढ़, दौसा, झुन्झुनू, करौली (गुढ़ाचन्द्रजी),नागौर,पाली (राणावास), राजसमन्द (नाथद्वारा) व सवाईमाधापुर में खोली जा रही है अतः संबंधित जिला कलेक्टर संबंधित अस्स्थाई पटवार शाला में पूर्ण व्यवस्था कराएं।

कृपया पटवार प्रशिक्षण शाला में भिजवाए गए प्रशिक्षु पटवारियों एवं अनुकम्पा आधार पर नियुक्त अप्रशिक्षत पटवारियों की सूची दिनांक 17–6–2012 तक ई–मेल/फेक्स से मण्डल को उपलब्ध कराए।

सलंग्न–उपरोक्तानुसार 4

भवदीय,

(अलकेश मीणा)
सचिव (भू–अभिलेख)
राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर।

ई- मेल

क्रमांकः सम/ 6739-61 दिनांक 12-6-2012

प्रतिलिपि :–

1– शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान,जयपुर।
2– शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान,जयपुर।
3– निदेशक, राजस्व अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।
4– प्रधानाचार्य, सर्व उद्देशीय राजस्व प्रशिक्षणालय, टोंक ।
5– प्रधानाध्यापक, पटवार प्रशिक्षण शाला, टोंक, कोटा, जोधपुर, देबारी (उदयपुर), देवखेड़ा (अलवर) व गजसिंहपुर (जिला श्रीगंगानगर)।
6–प्रधानाध्यापक, अस्थाई पटवार प्रशिक्षण शाला , अजमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बून्दी, चित्तौड़गढ़, दौसा, झुन्झुनू, करौली (गुढ़ाचन्द्रजी), नागौर, पाली (राणावास), राजसमन्द (नाथद्वारा) व सवाईमाधापुर द्वारा संबंधित जिला कलेक्टर ।

(अलका मीणा)
सचिव (भू–अभिलेख)
राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर।

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलेक्टर ------------

कमांक: दिनांक – –2012

श्री ----------------

(प्रशिक्षु पटवारी का नाम व पता अंकित करे)

विषय :– पटवार प्रशिक्षण शाला में प्रवेश हेतु सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगी परीक्षा–2011 से चयनित अभ्यर्थियों का दिनांक 18–6–2012 से प्रशिक्षण ।

उपरोक्त विषयक परीक्षा में आपका चयन हो चुका हैं। अतः पटवार प्रशिक्षण हेतु आपको दिनांक 18 जून, 2012 को प्रधानाध्यापक, पटवार प्रशिक्षण शाला --------------- में अपनी उपस्थिति देनी हैं जहॉं पर आपको नियुक्ति आदेश दे दिए जाऐगे। नियत दिनांक से तीन दिवस तक की अवधि अर्थात दिनांक 21–6–12 तक उपस्थित नहीं होने पर आपका चयन एवं आपको प्रशिक्षु पटवारी का दिया गया आदेश निरस्त कर दिया जावेगा और इसकी पृथक से आपको सूचना नहीं दी जावेगी।

उपरोक्त प्रशिक्षण केन्द्र पर उपस्थित होने पर -------- प्रवेश (-------- एडमिशन) ***(नोटः अन्तरिम प्रवेश या प्रवेश जिला कार्यालय द्वारा अंकित जाना है)*** **के लिये निम्नांकित प्रमाण पत्र आप द्वारा प्रस्तुत किये जाने हैं :–**

1– प्रशिक्षण हेतु पटवार शाला में जाते समय उन सभी मूल प्रमाण पत्रों को साथ लेकर जावे जिनकी सत्य प्रतियॉं आप द्वारा जिले के आवेदन पत्र के साथ सलंग्न की हैं। शैक्षणिक योग्यता, जन्म दिनांक के मूल प्रमाण पत्र साथ लेकर जाने हैं। अनु. जाति /अनु.जनजाति (अनुसूचित क्षेत्र के निवासी होने की स्थिति में स्थानीय अनु.जाति/अनु.जनजाति/सहरिया क्षेत्र के निवासी होने पर सहरिया आदिम जाति), अन्य पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी होने की स्थिति में अपनी जाति के मूल प्रमाण–पत्र भी साथ लेकर जावेंगें।

2– जहॉं आप निवास करते है उस जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अथवा मेडिकल ज्यूरिस्ट से स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्राप्त कर शाला के प्रधानाध्यापक को प्रस्तुत करेंगे।

3– सद्चरित्र का प्रमाण–पत्र जो 6 महीने पहले का लिखा हुआ नहीं हो उस विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज के प्रधानाचार्य, मुख्य शिक्षा अधिकारी का जिसमें कि अन्तिम कक्षा में पढ़ते थे का प्रमाण पत्र पटवार प्रशिक्षण शाला के प्रधानाध्यापक को प्रस्तुत किया जाना हैं। (भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में सेवानिवृति प्रमाण पत्र जिसमें चरित्र का उल्लेख हो।)

अन्य महत्वपूर्ण सूचना :–

4– प्रशिक्षण हेतु शाला में जाते समय पुरूष अभ्यार्थियों को सफेद कमीज व पेंट तथा सफेद रंग के जूते व मौजे साथ ले जाने हैं। महिला अभ्यर्थियों को सफेद ड्रेस व सफेद रंग के जूते व मौजे साथ ले जाने हैं। बिस्तर (बेडिंग) साथ लेकर जाना हैं।

5– सत्र की अवधि नौ माह की होगी तथा इस अवधि में आपको राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नियत पारिश्रमिक रू. 6100/– प्रतिमाह की दर से दिया जावेगा ।

6– सत्र की सम्पूर्ण अवधि में उपस्थिति नियमानुसार अनिवार्य होगी ।

7– राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रशिक्षणार्थी को इस आशय का अनुबंध पत्र हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा कि प्रशिक्षणोपरान्त राज्य स्तर के अधीनस्थ पटवारी के पद पर आपको कम से कम तीन वर्ष सेवाऐं अपर्ण करनी होगी अन्यथा आपके प्रशिक्षण पर खर्च की गई समस्त धनराशि राज्य सरकार को लौटानी होगी ।

8– प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात् होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 2 वर्ष की प्रोबेशन अवधि संतोषजनक पूर्ण होने पर आपको नियमानुसार पटवारी के पद की सेवाएं नियमानुसार नियमित करने की कार्यावाही की जा सकेगी।

9– प्रशिक्षण अवधि में कोई यात्रा–भत्ता देय नहीं होंगा ।

10– स्थाई प्रशिक्षण केन्द्र में छात्रावास में आवास में मांग अनुसार आवंटन सर्वप्रथम महिला प्रशिक्षणार्थियों को उपलब्धता अनुसार किया जावेगा व अस्थाई प्रशिक्षण केन्द्र गैर आवासीय होंगे।

11– प्रशिक्षण शाला में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर अभ्यर्थी को स्वयं की व्यवस्था करनी होगी।

13– प्रशिक्षण हेतु आपकी पात्रता पुलिस विभाग से चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में सद्चरित्र होने पर ही दिया जाएगा ।

जिला कलेक्टर, --------

—2

क्रमांक / सम /   दिनांक

प्रतिलिपि :–

1– निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर।

2– निदेशक, राजस्व अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।

3– अति0 जिला कलेक्टर (नोडल अधिकारी) टोंक, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, अलवर, श्रीगंगानगर, अजमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बून्दी, चित्तौड़गढ़, दौसा, झुन्झुनू, करौली ,नागौर,पाली , राजसमन्द व सवाईमाधोपुर ।

4– प्रधानाचार्य, सर्व उद्देशीय राजस्व प्रशिक्षणालय, टोंक / प्रधानाध्यापक, पटवार प्रशिक्षण शाला, टोंक, कोटा, जोधपुर, देबारी (उदयपुर), देवखेड़ा (अलवर) व गजसिंहपुर (जिला श्रीगंगानगर) /प्रधानाध्यापक, अस्थाई पटवार प्रशिक्षण शाला ,अजमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बून्दी, चित्तौड़गढ़, दौसा, झुन्झुनू, करौली (गुढ़ाचन्द्रजी), नागौर, पाली (राणावास), राजसमन्द (नाथद्वारा) व सवाईमाधोपुर (द्वारा संबंधित जिला कलेक्टर) को सलंग्न सूची में अंकित अभ्यर्थियों को शाला में प्रवेश देने हेतु प्रेषित हैं। प्रवेश देने से पूर्व आप प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी की जन्म दिनांक, शैक्षणिक योग्यता, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की व अन्य प्रमाण पत्र जिनकी सत्यापित प्रतियां आवेदन पत्र के साथ सलंग्न है की मूल प्रमाण पत्रों से जांच कर लेवे। मूल प्रमाण पत्र देख कर यह सुनिश्चित कर लें कि अभ्यर्थी अनु.जाति/अनु. जनजाति (अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय अनु. जाति/अनु. जनजाति/सहरिया जाति) या पिछड़ी जाति का सदस्य हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी का सद्चरित्र का प्रमाण पत्र प्राप्त कर मूल आवेदन पत्र के साथ सलंग्न किया जावें। प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी से निर्धारित प्रपत्र में अनुबंध पत्र प्राप्त किया जावें। इसी संबंध में यह भी देख लिया जावे कि चयनित अभ्यर्थी विकलांग तो नहीं हैं। यदि कोई अभ्यर्थी विकलांग है तो उसकी सूचना मण्डल को तुरन्त भेजी दी जावें तथा मण्डल से जब तक स्पष्ट आदेश प्राप्त नहीं हो जाते तब तक ऐसे अभ्यर्थी को शाला में प्रवेश नहीं दिया जावें।

जो अभ्यार्थी दिनांक 18–6–2012 से तीन दिन अर्थात 21–6–2012 तक शाला में उपस्थित न हो उनकी श्रेणी वार सूची दिनांक 25–6–2010 तक विशेष वाहक के साथ अथवा फेक्स से जिला कलेक्टर को अवश्य भिजवाते हुए प्रति मण्डल को फेक्स से प्रेषित करे। प्रवेश दिये गये अभ्यर्थियों की सूची भी श्रेणी वार (सवर्ण, अनु.जाति/जनजाति, स्थानीय अनु. जाति/अनु.जनजाति/सहरिया जाति व पिछड़ी जाति) की सूची भी तैयार कर भिजवायें। दिनांक 21–6–2010 तक कितने अभ्यर्थी प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हो चुके है उनकी कुल संख्या फेक्स से दिनांक 21–4–10 को सांयकाल तक मण्डल, निदेशक, आर.आर.टी.आई. व जिला कलेक्टर——— को भिजवाना सुनिश्चित करे।
सलंग्न– ——अभ्यर्थियों की सूची व सूची अनुसार आवेदन पत्र

5– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/मेडिकल ज्यूरिस्ट जिला ———— को प्रेषित कर निवेदन है कि इस परीक्षा में चयनित किये गये अभ्यर्थी आपके पास उपस्थित होते है तो उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाकर नियमानुसार उन्हें स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र दे दिया जावें।

जिला कलेक्टर, ———

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगी परीक्षा–2011 से चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु स्थाई पी.टी.एस. में आवंटन

क.सं.	नाम जिला	प्रशिक्षण केन्द्र	वर्ष 2010 में आवंटन	अध्यापन की क्षमता	कौन से जिले के कितने प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण दिया जा सकता है ।	18–6–12 हेतु आवंटन
1	टोंक	*ए.पी.आर.टी.टोंक*	*108*	*120*	बारां– 97 (*पटवार प्रशिक्षण बेच 31–8–12 तक है।*)	**97**
		पटवार प्रशिक्षण शाला, टोंक	72	65	टोंक– 97	**97**
2	कोटा	पटवार प्रशिक्षण शाला, कोटा	143	200	कोटा– 49, झालावाड़– 97,	**146**
3	जोधपुर	पटवार प्रशिक्षण शाला, जोधपुर	132	120	जोधपुर– 97, जैसलमेर – 22	**119**
4	उदयपुर	पटवार प्रशिक्षण शाला, देबारी (उदयपुर)	239	250	उदयपुर– 76, डूंगरपुर– 43, प्रतापगढ़– 24, सिरोही – 37, बांसवाडा – 30,	**210**
5	अलवर	पटवार प्रशिक्षण शाला, देवखेड़ा (अलवर)	253	200	अलवर– 97, भरतपुर– 127	**224**
6	श्रीगंगानगर	पटवार प्रशिक्षण शाला, गजसिंहपुर (जिला श्रीगंगानगर)	221	200	हनुमानगढ़ – 43, श्रीगंगानगर – 105, चुरू– 33	**181**
					कुल आवंटन स्थाई पी.टी.एस. में–	**1074**

राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर

सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगी परीक्षा–2011 से चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु अस्थाई पी.टी.एस. में आवंटन

क.सं.	नाम जिला	प्रशिक्षण केन्द्र	वर्ष 2010 में आवंटन	अध्यापन की क्षमता	कौन से जिले के कितने प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण दिया जा सकता है ।	18–6–12 हेतु आवंटन
1	अजमेर	पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर	–	100	अजमेर – 97 (भवन के चयन की कार्यवाही जारी है)	97
2	बाड़मेर	सामुदायिक सभा भवन, महावीर नगर, बाड़मेर		100	बाडमेर – 97	97
3	भीलवाड़ा	माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय परिसर, भीलवाड़ा	–	100	भीलवाड़ा – 99	99
4	बीकानेर	ओ.टी.एस. परिसर, बीकानेर	–	106	बीकानेर – 106	106
5	बून्दी	राजकीय आवास भवन बी.आर.–532, लंका गेट रोड,बून्दी	–	50	बून्दी – 46	46
6	चित्तौडगढ़	सूचना केन्द्र,गांधीनगर, चित्तौड़गढ़		100	चित्तौडगढ़ – 97	97
7	दौसा	ग्रामीण हाट परिसर, दौसा	–	150	दौसा,– 35, धौलपुर – 97	132
8	झुंझुंनू	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट),झुन्झुनू	–	100	झुंझुंनू– 32, सीकर – 26, जयपुर – 46,	104
9	*करौली*	छात्रावास भवन, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुढ़ाचन्द्रजी तहसील नादौती (वर्ष 2010 का अस्थाई पी.टी.एस.)	136	–	करौली – 44	44
10	नागौर	टाउन हॉल, बीकानेर रोड, नागौर	–		नागौर – 97	97
11	पाली	श्री जैन तेरापंथ महाविद्यालय,राणावास तहसील मारवाड़ जंक्शन (वर्ष 2010 का अस्थाई पीटीएस)	188	–	पाली – 131, जालौर – 45	176
12	राजसमन्द	श्री नाथ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड फार्मेसी, नाथद्वारा	–		राजसमन्द– 97 (जिला कलेक्टर द्वारा चयन की कार्यवाही की जा रही हैं।)	97
13	*सवाई माधोपुर*	डाइट भवन, सवाई माधोपुर	–	100	सवाई माधोपुर – 97	97
					कुल आवंटन अस्थाई पी.टी.एस. में–	**1289**
					कुल आवंटन स्थाई/अस्थाई पीटीएस में–	**2363**